RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक १०] शुक्रवार, मार्च २४, २०१७/चैत्र ३, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २४ मार्च, २०१७ ई. को पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम १७७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XIII OF 2017.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १३ सन् २०१७।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।

सन् १९६१ का महा. २४। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

सन् १९६१ का महा. ८८ की धारा २४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा ८८ की, उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतूक के पश्चात्, निम्न परंतूक, जोडे जायेंगे, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४।

परंतु यह भी कि, सरकार, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर या स्व-प्रेरणा से, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर के, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए, समय समय पर, यथावश्यक उक्त अवधि को विस्तारित करेगी :

परंतु यह भी कि, इस उपधारा के अधीन की कार्यवाहियों के मामले में, जो महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण की दिनांक को उपर्युक्त अवधि के भीतर, पुरे नहीं किये गये हैं, सरकार रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर या स्व-प्रेरणा से, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर के, उसे पूरा करनें के लिये, समय समय पर, यथावश्यक उक्त अवधि को विस्तारीत कर सकेगा।”। सन् २०१७ का महा.

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) विभिन्न उद्देश्यों, वर्गीकरणों तथा उप-वर्गीकरण होनेवाले सभी सहकारी संस्थाओं को अभिशासित करता है। उक्त अधिनियम की धारा ८८ के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा या के रजिस्ट्रार द्वारा इसप्रकार नियुक्त किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपचारी समर्थकों आदी के विरूद्ध में क्षति न पहुँचने की कार्यवाही के अभिगम का उपक्रम हाथ में ले सकेगा।

धारा ८८ के विद्यमान परंतुकों, रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए ढाई वर्ष के अवधि के लिए उपबंधित करते है। उक्त अधिनियम की धारा ८९ यह उपबंधित करती है कि, धारा ८८ के अधीन कार्य करनेवाला रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति, को किसी व्यक्ति को समन देने की तथा किसी व्यक्ति की उपस्थिति लागू करने की उसी रित्या की शक्ति होगी जैसे सिविल प्रक्रिया की संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित की है। इसलिए धारा ८८ के अधीन की जाँच न्यायिककल्प के स्वरुप में है।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ के उप-नियम (१) से (६) जिसमें धारा ८८ के अधीन कार्यवाहीयाँ कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है, के लिए की रिती का उपबंध करती है। यह सूचित किया गया है कि, विभिन्न कारणों के परिणामस्वरुप, जैसे कि सन्माननीय उच्च न्यायालय या अपील प्राधिकरण द्वारा मंजूरी को, कायम रखना, अन्य न्यायालय या पुलिस थाने से संस्था के अभिलेख का प्रस्तुत करना आदि के लिए जब उक्त नियम ७६ में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी को धारा ८८ के अधीन कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक समय आवश्यक है। ऐसे मामलों में, प्राधिकृत अधिकारी को, धारा ८८ की उप-धारा (१) के परंतुकों में यथा उपबंधित कालावधि के अलावा अधिक कालावधि की आवश्यकता हो सकेगी। यह दिखाई देता है कि, कार्यवाही को पूरा करने के लिए पूछताछ की निरंतरता के लिए उक्त कालावधि से अधिक कालावधि के लिए यह उपबंध स्पष्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, जाँच की संपूर्ति करना तथा वहाँ के दुष्कर्म के लिए अपचारी दायित्व धारण करना संभव नही है और इसलिए, जाँच के कई प्रयोजनों की निराशा होना महत्त्वपूर्ण है। धारा ८८ के अधीन की यथा कार्यवाहीयाँ न्यायिककल्प के स्वरूप में की उसी प्रकार से शीघ्रता से पूरी हो जाना आवश्यक है। इसलिए, धारा ८८ के अधीन जाँच करने के उद्देश से, न्याय तामिल करने के लिए उनकी तर्कसंगत समाप्ति को उक्त धारा ८८ में स्पष्ट उपबंध बनाना के शीघ्र विचारार्थ है, सरकार के पूर्वानुमोदन से उनके अधीन कार्यवाहियों की पूरा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को समर्थित बनाने के लिए विचारार्थ है। ऐसे समर्थित उपबंध, उक्त धारा ८८ के अधीन, जो प्रस्तावित विधि के प्रारम्भण के दिनांक पर पूरा नहीं हो गया है, की कार्यवाहीयों के लगनेपर जाँच के लिए भी प्रस्तावित है, इसप्रकार ऐसी कार्यवाहियों से तर्कसंगत निष्कर्ष भी निकाले जा सकते है।

२. उक्त विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २२ मार्च, २०१७।

सुभाष देशमुख,
सहकार मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २४ मार्च, २०१७ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.